चीन- भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाये रखने के बारे में चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

.....

चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ने {जिन्हें इस करार में इसके बाद दोनों पक्ष कहा गया है } सम्प्रभुता एवं प्रादेशिक असंडता का परस्परिक सम्मान, परस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप,समानता एवं परस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन पंच सिद्धान्तों के अनुसार तथा चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने के उद्देश्य से यह करार सम्पन्न किया है।

अनुच्छेद-एक

दोनों पक्षों का यह विचार है कि चीन-भारत सीमा के प्रश्न को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार-विनिमय से तय किया जायेगा। दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी तरह दूसरे पक्ष के विरुद्ध न तो शक्ति का प्रयोग करेगा और न उसकी धमकी देगा। दोनों देशों के बीच सीमा का सवाल जब तक अन्तिम रूप से हल नहीं हो जाता, दोनों पक्ष अपने बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी निष्ठा के साथ सम्मान करेंगे और उसे मानेंगे। दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन होता हो। अगर कभी किसी पक्ष के कार्मिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चले जाएं तो दूसरे पक्ष द्वारा सावधान किए जाने पर वे तत्काल वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी ओर लौट जायेंगे। जब जरूरी होगा दोनों पक्ष सम्मिलित रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा के उन हिस्सों की जांच करके उन्हें तय करेंगे जिनकी स्थिति के बारे में उनमें मतभेद हो।

अनुच्छेद-दो

दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और अच्छे प्रतिवेशियों के से संबंधों के अनुरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी फ़ौजें न्यूनतम स्तर पर रखेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर अपनी-अपनी फ़ौजें पारस्परिक एवं समान सुरक्षा के सिद्धान्त की अपेक्षाओं के अनुरूप कम करेंगे जिनकी अधिकतम संख्या परस्पर सहमति से तय की जायेगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बल में कहां, कब और कितनी कमी की जायेगी और उसका स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला दोनों देशों के बीच आपसी सलाह मशिवरे से किया जायेगा। सैन्य-बल में कमी वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में क्षेत्रवार परस्पर सहमत भौगोलिक स्थानों में क्रमिक रूप में की जायेगी।

अनुच्छेद-तीन

दोनों पक्ष परस्पर विचार-विनिमय करके वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में विश्वास विकसित करने के प्रभावकारी तरीके तय करेंगे। कोई भी पक्ष परस्पर तय इलाकों में विनिर्दिष्ट स्तर का सैन्य अभ्यास नहीं करेगा। प्रत्येक पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इस करार में अनुमेय विनिर्दिष्ट स्तरों पर सैन्य अभ्यास करने की पूर्व सूचना दूसरे पक्ष को देगा।

अनुच्छेद-चार

वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में किसी आपत स्थिति अथवा किन्हीं अन्य समस्याओं के उठने पर दोनों पक्ष दोनों देशों के सीमा कार्मिकों के बीच बैठक करके और मैत्रीपूर्ण विचार- विमर्श करके उनका निराकरण करेंगे। इस प्रकार की बैठकों का स्वरूप क्या होगा और सीमा कार्मिकों के बीच संचार के क्या सूत्र होंगे इसका फैसला दोनों पक्ष परस्पर सहमति से करेंगे।

अनुच्छेद-पांच

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर-पार विमानों द्वारा अतिक्रमण न हो इसका सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त उपाय बरतेंगे और अगर ऐसा अतिक्रमण हो ही जाए तो पारस्परिक विचार-विनिमय से इसका समाधान करेंगे। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट परस्पर सहमत क्षेत्रों में हवाई अभ्यासों पर संभव प्रतिबंध के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद-छह

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस करार में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लेख से सीमा के प्रश्न पर उनके अपने-अपने दृष्टिकोण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-सात

दोनों पक्ष विचार-विमर्श करके यह तय करेंगे कि इस करार के अन्तर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में सैन्य बल कम करने तथा शांति और अमन बनाए रखने के लिए अपेक्षित प्रभावकारी साक्ष्यांकन के उपाय और पर्यवेक्षण की प्रकृति, तरीका, स्तर और इसका कार्य- स्वरूप क्या होगा।

अनुच्छेद-आठ

सीमा संबंधी चीन-भारत संयुक्त कार्यकारी दल का प्रत्येक पक्ष परस्पर विचार-विमर्श से मौजूदा करार को क्रियान्वित करने के उपाय तय करने के लिए राजनयिक तथा सैन्य विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा। ये विशेषज्ञ संयुक्त कार्यकारी दल को वास्तविक नियंत्रण रेखा के रेखांकन के विषय में दोनों पक्षों के मतभेदों के समाधान के बारे में सिफ़ारिश देंगे तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सैन्य बल कम करने के इरादे

से पुनःतैनाती से संबंद विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। ये विशेषज्ञ इस करार के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण कार्य में और इस प्रक्रिया में उठने वाले संभावित मतभेदों को तय करने में सद्विश्वास एवं पारस्परिक भरोसे के सिद्धान्त के आधार पर संयुक्त कार्यकारी दल की सहायता करेंगे।

अनुच्छेद--नौ

मौजूदा करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी हो जायेगा और दोनों पक्षों की सहमति से बाद में इसमें संशोधन और परिवर्तन किए जा सकेंगे।

पेईचिंग में आज ईसवी सन् एक हजार नौ सौ तिरानवे के सितम्बर मास के 7 दिन चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में यह करार सम्पन्न हुआ। इस करार के ये तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

唐家璇

चीन लोक गणराज्य की सरकार
की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से